हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

14/7/25

पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी
अवकाश पर होने से पूर्व आदेशानुसार
दिनांक............17/07/25............
को पत्रावली पेश हो।

17/7/25

पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। दौराने
बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया की भूमि खाता सख्या
20 ग्राम सुखपुरा प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी
में दर्ज है, जिस पर हम हिस्सेनुसार काबिज काश्त है।
हमारी काश्त की भूमि पर आने जाने हेतु बने रास्ते को
अवरुद्ध कर दिया है, संयुक्त खातेदारी मे निहित हिस्से पर
आने जाने का रास्ता बन्द कर दिये जाने से मौके पर
भूमि पड़त है, हमें अपूरणीय क्षति हो रही है। तफसीला
वाद रास्ते व चाह एवं हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग
में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु इनको T.I. से पाबन्द
किया जावे।

खण्डन में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया
की इन्होने शामलाती खाते की भूमियों मे बंटवारे का
अनुतोष चाहा गया है। इनके वाद पत्र मे यह तथ्य अंकित
है। दिनांक - 28/06/24 को राजीनामा हो गया है, जिसमें
रास्ते व जलमार्ग के उपयोग में कोई आपत्ति नही है। हमने
सहमति बंटवारा से तहसील मे पेश कर सकते है। हमने
जवाब व शपथ पत्र पेश किया है, कोई वाद कारण
नही है। स्थगन की आड़ मे। पुलिस थाने की आड़ मे
विवाद बढ़ाना चाहते है। प्रकरण खारिज कर, वाद
मे P.D. जारी की जावे।

हमने बहस वकील पक्षकारान पर मनन कर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

| तारीख हुक्म | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|

(2)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2076-2076 के खाता नं. 20 ग्राम सुरवपुरा प० म० मेण्डी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में अंकित है।

T.I. प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु विचारित तीनों बिन्दुओं पर न्यायालय निष्कर्ष निम्न प्रकार है :

1. प्रथम दृष्टया मामला :- विवादित भूमियां प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदार में अंकित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा स्थगन चाहा गया है। बिना बटवारे के किसी सहखातेदार के विरुद्ध स्थगन जारी किया जाना विशेष परिस्थितियों के उचित नहीं है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी से राजीनामा होना व रास्ते व जलमार्ग के उपयोग में कोई आपत्ति नहीं होना व बटवारे हेतु सहमत होना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बन रहा है।

2. सुविधा संतुलन का सिद्धान्त :- मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनने व बिन्दु संख्या 1 में अंकित विवेचनानुसार सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक में नहीं बन रहा है।

3. अपूरणीय क्षति की सम्भावना :- विवादित भूमियाँ प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में होने व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व शपथ पत्र अनुसार रास्ते व जलमार्ग व बटवारे में कोई आपत्ति नहीं होने से प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने। सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के हक में नहीं बनने व अपूरणीय क्षति की सम्भावना नहीं होने से

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

| हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|

(3)

प्रकरण पत्रावली खारीज किया जाता है। पक्षकार फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली